भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1108**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**कुपोषित बच्‍चे**

**1108. श्री दर्शन सिंह यादव:**

**श्रीमती रजनी पाटिल:**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्‍व का हर तीसरा कुपोषित बच्‍चा भारत में है;

(ख) क्‍या यह सच है कि आज की स्‍थिति के अनुसार 150 मिलियन भारतीय बच्‍चे कुपोषित होने की कगार पर हैं और शिशु मृत्‍यु के कुल मामलों में 59 प्रतिशत बालिकाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार देश में बच्‍चों की उचित संवृद्धि विकास तथा उत्‍तरजीविता के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : यूनिसेफ डब्‍ल्‍यूएचओ/विश्व बैंक समूह के संयुक्‍त बाल कुपोषण अनुमान 2016 के अनुसार विश्‍व के लगभग 31 प्रतिशत कुपोषित बच्‍चे भारत में हैं।

(ख) : भारत में, 5 वर्ष से कम के आयु के कुपोषित बच्‍चों का प्रसार (एनएचएफएस-4, 2015-16 के अनुसार) 38.4 प्रतिशत है। जो कि देश में लगभग 48 प्रतिशत मिलियन 5 वर्ष से कम के आयु के बच्‍चे हैं। भारत के महापंजीयक (एसआरएस), के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्‍यु दर प्रति 1000 प्रसव पर 39 है।

(ग) : मंत्रालय, समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्‍कीम, किशोरियों के लिए स्‍कीम (सबला) तथा मातृत्‍व सहायता कार्यक्रम का कार्यान्‍वयन सीधा लक्षित हस्‍तक्षेप के रूप में महिलाओं और बच्‍चों के पोषण स्‍थिति में सुधार के लिए कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्‍त, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय देश में बच्‍चों के सटीक विकास और बच्‍चों के जीवन के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम चला रहा है:

* वर्ष 2030 तक ‘सिंगल डिजिट नियोनेटेल मोर्टेलिटी रेट’ और ‘सिंगल डिजिट स्‍टिलबर्थ रेट’ के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने हेतु प्रयास करने के लिए भारत नवजात कार्य योजना (आईएनएपी)।
* जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के रूप में नकद प्रोत्‍साहन के माध्‍यम से संस्‍थागत प्रसव तथा आवश्‍यक नवजात शिशु की देख-रेख को प्रोत्‍साहन।
* स्‍तनपान पद्धतियों तथा नवजात शिशुओं की बीमारी के शीघ्र पहचान तथा परामर्श करने सहित आवश्‍यक नवजात देखरेख को प्रोत्‍साहित करने के लिए आशा को प्रोत्‍साहन के द्वारा गृह आधारित नवजात देखरेख (एचबीएनसी) को आरंभ किया गया।
* बीमार नवजात शिशुओं को जिला अस्‍पतालों और मेडिकल कॉलेजों तथा एक आरंभ स्‍तर पर नवजात स्‍थिरिकरण ईकाई (एनबीएसयू) पेंशन-दिन सेवा प्रदान करने के लिए विशेष नवजात शिशु देख-रेख यूनिवे (एसएनसीयू) की स्‍थापना द्वारा छोटे अथवा बीमार नवजातों की देखरेख के लिए सुविधा आधारित नवजात देखरेख (एफवीएनसी) का निर्माण किया गया।
* निमोनिया, दस्‍त तथा कुपोषण पर विशेष ध्‍यान देने के साथ बच्‍चों की अन्‍य बीमारियों के शीघ्र पहचान तथा मामले की देखरेख के लिए नवजात तथा बाल्‍यकाल बीमारी को समेकित प्रबंधन को प्रोत्‍साहन।
* आशा द्वारा निमोनिया तथा दस्‍त जैसी आम बीमारियों सहित शीघ्र पहचान तथा तुरंत उपचार को प्रोत्‍साहन।
* जुलाई से आरंभ के दौरान बाल्‍यकाल दस्‍त में शून्‍य मृत्‍यु दर के लक्ष्‍य के साथ गहन दस्‍त नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) के माध्‍यम से दस्‍त के दौरान ओआरएस और जिंक प्रयोग के बारे में जागरुकता बढ़ाना।
* वर्ष 2020 तक 90 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण कवरेज को प्राप्‍त करने के उद्देश्‍य के लिए मिशन इंद्रधनुष।
* नवजात मृत्‍यु दर को कम करने के लिए जन्‍म के समय पर विटामिन-‘के’ का इंजेक्‍शन, प्रसवपीड़ा पूर्व समय में एंटीनेर्टल कोर्टिकोस्‍टीरोइड्स, कंगारू मदर केयर तथा संभावित गंभीर जीवाणु संक्रमण के लिए नवजातों को जेंटामाईसिन इंजेक्‍शन प्रदान करने के लिए अभिनव उपायों की एएनएम को सशक्‍त करना।
* देश में उचित स्‍तनपान पद्धतियों तथा स्‍तनपान कवरेज में सुधार लाने के लिए ‘’एमएनए-मदर्स एब्‍सोल्‍यूट एफेक्‍शन’’ कार्यक्रम।
* 5 वर्ष से कम की आयु के गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएन) बच्‍चों को सुविधा स्‍तर पर चिकित्‍सा तथा पोषण देखरेख प्रदान करने के लिए पोषण पुनर्सुधार केन्‍द्रों (एनआरसी) की स्‍थापना। इसके अतिरिक्‍त मानकों को बच्‍चों की देखरेख तथा खिलाने-पिलाने की पद्धतियों की कुशलता भी प्रदान की गई ताकि घर पर बच्‍चेको उपयुक्‍त देखरेख प्राप्‍त हो सके।
* राष्‍ट्रीय आईरन प्‍लस पहल (एनआईपीआई) जिसमें आशा द्वारा 5 वर्ष से कम की आयु के सभी बच्‍चों को साप्‍ताहित आईरन फोलिक एसिड अनुपूरक तथा रक्‍तहीनता से बचने के लिए अर्धवार्षिक डिवार्मिंग का प्रावधान सम्‍मिलित है।
* सोसल ट्रांसमिटेड हेलगिनथाईसिस (एचटीएच) संक्रमण से बचाव के लिए 19 वर्ष से कम की आयु के बच्‍चों के लिए राष्‍ट्रीय डिवार्मिंग दिवस का आयोजन किया गया।
* 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्‍चो के लिए अर्धवार्षिक आधार विटामिन ए अनुपूरण दिया गया।
* माताओं को पोषण परामर्श देने के लिए और बाल देखरेख पद्धतियों में सुधार लाने के लिए ग्राम स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) का भी आयोजन किया गया।
* राष्‍ट्रीय बाल स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम (आरबीएसके) ब्‍लॉक स्‍तर पर मोबाइल स्‍वास्‍थ्‍य टीमों की पहुंच को बढ़ाकर तथा जिले में समय पूर्व मध्‍यवर्ती सेवाओं के लिए जिला प्रारंभिक हसतक्षेप केन्‍द्रों (डीईआईसी) की स्‍थापना द्वारा 30 ग्राम स्‍वास्‍थ्‍य स्‍थितियों के लिए बाल स्‍वास्‍थ्‍य अनुवीक्षण प्रदान किया गया।

\*\*\*\*\*